न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2025 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती भग्गु बाई पत्नी कालूराम जी, जाति भील, निवासी भेमली, जागदा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. तुलछा पुत्र टेका जी, जाति भील, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. होमा राम पुत्र जगा जी, जाति भील, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. दूदा पुत्र सवा जी, जाति भील, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. धर्मा पुत्र सवा जी, जाति भील, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. नारायण पुत्र जी, जाति भील, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. प्रेमलाल पुत्र खुमा जी, जाति भील, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. कुका पुत्र रता जी, जाति भील, निवासी सेठजी की कुण्डाल, बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. दीपिका पत्नी रघुनन्दन जी, जाति मीणा, निवासी करमात, फला रायपुर, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
9. श्रीमती मीरा देवी पत्नी सज्जनलाल जी, जाति गमेती, निवासी तीतरड़ी, उपला फला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. अमृतलाल पुत्र मन्नालाल जी, जाति भील, नि0 2 घ 11, सरदार पटेल नगर, हिरण मगरी, सेक्टर 11, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. प्रेमलाल पुत्र सवा जी, जाति गमेती, निवासी [illegible] लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोडेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दि॰ 11–09–2024 प्र.सं. 26/2024

---/---

उपस्थित :– 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 06–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोल की पाटी, तहसील गिर्वा में पुराना खाता संख्या 220 एवं 221 में वादग्रस्त आराजियात तीन भाईयों जगा, सवा व तुलछा पुत्र टेका के खाते में 1/3, 1/3 दर्ज थी एवं मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। सवा ने अपना हिस्सा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है, जिससे जमाबन्दी में उनका नाम प्रतिस्थापित हो गया। वादी के कब्जे शुदा भूमि में एक तरफ पत्थर की कोट बनी हुई है व दूसरी तरफ पाली निकली हुई है। इस प्रकार मौके पर वादी का 1/3 हिस्सा अलग चिन्हित है, जो सर्वेयर द्वारा बनाये नक्शे में हरे रंग से दर्शा रखा है। राजस्व ग्राम धोल की पाटी की अलग–अलग 8 खातों की आराजी नंबर 968, 970, 971, 974, 975, 976, 978, 973, 977, 979, 980, 1393/968, 506, 507, 508 में वादी का 1/3 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तीनों भाईयों में वर्षो पूर्व तीन हिस्से कर दिये गये हैं व उसी अनुरूप भूमि को आबाद किया है। वादी तुलछा के हिस्से व कब्जेशुदा आराजी नंबर 968 में से रकबा 0.0297 हैक्टर, आराजी नंबर 971 में से 0.0050 हैक्टर, आराजी नंबर 974 में से 0.0575 हैक्टर, आराजी नंबर 975 में से 0.0175 हैक्टर, आराजी नंबर 976 में से 0.0225 हैक्टर, आराजी नंबर 978 में से 0.0300 हैक्टर, आराजी नंबर 979 में से 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 980 में से 0.0400 हैक्टर, आराजी नंबर 1393/968 में से 0.0978 हैक्टर, आराजी नंबर 506 में से 0.0400 हैक्टर, आराजी नंबर 507 में से 0.1000 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:15 IST
Reason: SelfAttested

एवं आराजी नंबर 508 में से 0.0734 हैक्टर कुल रकबा 0.5334 हैक्टर, जो खाते के कुल रकबे का 1/3 हिस्सा है, पर वादी काबिज होकर मौके पर बाड़–कोट बना रखी है। वादी के भाई सवा ने अपने हिस्से की भूमि का फर्दन–फर्दन कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया, जो स्ट्रेन्जर परचेजर होकर आये दिन झगड़ा–फसाद करते हैं, इसलिए रेकार्ड अनुसार विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी खिलाफ प्रतिवादीगण 1/3 हिस्से की डिक्री प्रदान करायी जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 10 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सवा द्वारा आराजी नंबर 968 में से अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 10 काबिज है। अतः मौके अनुसार बंटवारा किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–09–2024 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा यह अपील दिनांक 30–01–2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम [illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट [illegible] को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त [illegible] इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कह रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होने पर बुला लेंगे, किन्तु प्रकरण में उनके अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दिनांक 24–08–2024 को अपीलान्ट के जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विभाजन में सभी पक्षकारों की सहमति नहीं थी। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि दिनांक 23–05–2024 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा इसके बाद जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 22–08–2024 को जवाब के अवसर बन्द किये गये। दावा मात्र विभाजन का है, जिसमें सभी विपक्षी पक्षकारों द्वारा सहमति प्रकट की गयी है। अपीलान्ट को प्रारम्भिक डिक्री से क्या आपत्ति है यह नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

9. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–05–2024 अनुसार अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री [illegible]जी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलान्ट को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:15 IST
Reason: SelfAttested

सूचना नहीं दी, जिससे दिनांक 24–08–2024 को अपीलान्ट के जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तथा विभाजन में सभी पक्षकारों की सहमति नहीं थी। इस संबंध में हमने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावों का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया, जिसमें प्रतिवादीगणों ने हालांकि विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया है, किन्तु जवाबदावे का खण्डन भी किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वाद एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकियां कायम तक तथा पक्षकारों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीवार विवेचन करना चाहिए था, जिसका प्रकरण में पूर्णतया अभाव होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण हो जाता है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–09–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम करें तत्पश्चात उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

6.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:15 IST
Reason: SelfAttested